भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †**476**

दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत निधि

†476. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के अंतर्गत संवितरित निधि का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान अब तक स्वीकृत और पूर्ण की गई अन्वेषण, खनन और प्रसंस्करण परियोजनाओं की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परियोजनाओं के वर्तमान में पूरा किए जाने की दर का ब्यौरा क्या है और मात्रात्मक रूप से मूल्यांकन किए गए लिथियम, दुर्लभ भू-तत्वों, कोबाल्ट और ग्रेफाइट के नए भंडारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) वैनेडियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्वों और लिथियम सहित पूर्वोत्तर भारत में खनिज खोजों को कार्यान्वित करने की समय-सीमा और कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यावरणीय या भूमि-उपयोग संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा कच्छ कॉपर स्मेल्टर की आगामी 1 मिलियन टन क्षमता के आलोक में, घरेलू अयस्क उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से तांबा में आत्मनिर्भरता का समर्थन करने के लिए अपनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(च) महत्वपूर्ण चुंबक सामग्रियों में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में अब तक प्राप्त कुल उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को 29 जनवरी 2025 को वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2024-25 के दौरान, 1 लाख रुपये की

सांकेतिक राशि आवंटित की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 410 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ख) सामान्यतः, जीएसआई गवेषण परियोजनाओं को 15 से 18 माह की अनुकूलित समय-सीमा के भीतर पूरा करता है। पिछले पांच वर्षों में, वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक, जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर केंद्रित 628 परियोजनाएं शुरू की हैं। चालू वर्ष 2025-26 के दौरान, देश भर में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों को लक्षित करते हुए 228 गवेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कुछ निक्षेपों, जिनमें जीएसआई ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद से व्यवस्थित गवेषण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न ग्रेड और कट-ऑफ पर लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व, कोबाल्ट और ग्रेफाइट के लिए संसाधनों को बढ़ाया है, का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) असम में 5 चूना पत्थर ब्लॉक और अरुणाचल प्रदेश में 4 महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक हाल ही में वर्ष 2024-25 में नीलाम किए गए हैं। खनन परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है और नीलाम किए गए ब्लॉक के संचालन में लगने वाला वास्तविक समय ब्लॉक की नीलामी के बाद आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों/मंजूरियों जैसे कि पूर्वेक्षण योजना प्रस्तुत करना, भूवैज्ञानिक गवेषण पूरा करना, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे का विकास आदि, पर निर्भर करता है।

(ङ) सरकार ने व्यापक विकसित भारत 2047 विजन के अनुरूप एक आत्मनिर्भर, सतत तांबा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए एक व्यापक, भविष्योन्मुखी रोडमैप अपनाया है। केंद्र सरकार ने घरेलू खनन क्षमता का विस्तार करने और महत्वपूर्ण, सामरिक और गहराई में स्थित खनिजों के लिए आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 1957 में संशोधन किया।

उक्त संशोधन के माध्यम से, तांबे सहित 29 महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है। नीलामी के माध्यम से प्रदान की गई गवेषण अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारक को एमएमडीआर अधिनियम में नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण कार्य करने की अनुमति देगी।

घरेलू तांबा प्रगालकों और शोधकों के लिए सुगम फीडस्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु घरेलू अयस्क उत्पादन में वृद्धि के पूरक के रूप में, केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के तहत तांबा अयस्क और सांद्र (एचएस कोड 2603) और तांबा ब्लिस्टर (एचएस कोड 74020010) पर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने 4 जुलाई, 2025 को तांबे पर विज़न दस्तावेज़ जारी किया, जिसमें संपूर्ण तांबा मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यनीतिक हस्तक्षेपों की रूपरेखा दी गई है। यह गौण शोधन में वृद्धि करने, घरेलू पुनर्चक्रण को बढ़ाने और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से विदेशी खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित करके खुले बाजार के आयात पर निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है। इन कदमों का उद्देश्य घरेलू तांबा अयस्क की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और वैश्विक तांबा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को सुरक्षित करना है।

(च) दुर्लभ मृदा (आरई) चुम्बकों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चुम्बक सामग्री नियोडिमियम-प्रेजोडिमियम (एनडीपीआर) और सैमेरियम ऑक्साइड/ऑक्सालेट हैं। तीन वर्षों की अवधि में इन सामग्रियों का उत्पादन नीचे सारणीबद्ध है:

उत्पादन (टन में)		
वर्ष	सैमेरियम ऑक्सालेट/ऑक्साइड (99%)	एनडी.पीआर. ऑक्सालेट/ऑक्साइड (99%)
2022-23	7.478	157.93
2023-24	10.26	244.09
2024-25	7.266	245.69

*****

अनुलग्नक-I

क्र. सं.	पदार्थ	संसाधनों वाली परियोजनाओं की संख्या	विभिन्न स्तरों पर संवर्धित संचयी संसाधन (मिलियन टन)	स्थान
1	लिथियम	6	12.92 मिलियन टन	जम्मू और कश्मीर (सलाल-हैमना); राजस्थान (रेवत पहाड़ी), छत्तीसगढ़ (काठगोरा) आदि।
2	आरईई	36	482.6 मिलियन टन	गुजरात (अम्बाडूंगर); बिहार (बटेसरथान); महाराष्ट्र (कवलपुर, पिपरा-महेगांव-डोंगरला); राजस्थान (कलौर का दांता के उत्तर में); तमिलनाडु (थेनी), कर्नाटक (गुंडलुपेट) आदि।
3	कोबाल्ट	4	1.8 मिलियन टन	कर्नाटक (तारलागट्टा), राजस्थान (लाडेरा), आंध्र प्रदेश (गुम्पमकोंडा) आदि।
4	ग्रेफाइट	26	93.8 मिलियन टन	मध्य प्रदेश (टिकरा-चिकलार- गौठाना और गोलीघाट); अरूणाचल प्रदेश (राडफू और फोप), झारखण्ड (कर्मा); ओडिशा (दंडापानी); झारखण्ड (अधमानिया एवं कर्मा), छत्तीसगढ़ (ओरंगा-रेवतीपुर) आदि।